

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्त्री शिक्षा की दशा एवं दिशा

डॉ० श्याम कुमार चौधरी¹

¹असिस्टेन्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र महिला पी०जी० कॉलेज, बहराइच, उ०प्र०

Received: 21 Dec 2024 Accepted & Reviewed: 25 Dec 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। संविधान में समानता और शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, सर्व शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ तथा उच्च शिक्षा में आरक्षण एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रमों ने स्त्री शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके बावजूद ग्रामीण, शहरी विषमता, बाल विवाह, गरीबी, सामाजिक रूढ़ियाँ, डिजिटल विभाजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न रहकर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, उच्च शोध तथा आत्मनिर्भरता से जुड़ रही है। यह अध्ययन स्वतंत्रता के बाद भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति, उसकी समस्याओं तथा भविष्य की दिशा का विश्लेषण करता है और यह प्रतिपादित करता है कि सशक्त, शिक्षित स्त्री ही समावेशी और सतत विकास की आधारशिला है।

मुख्य शब्द— स्त्री शिक्षा, स्वतंत्रता पश्चात भारत, शैक्षिक नीतियाँ, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, बालिका सशक्तिकरण, शिक्षा में चुनौतियाँ, आत्मनिर्भरता

Introduction

“पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की” कितना प्रफुल्लित करने वाला यह वाक्य है, यह वही लड़की है जो बेटी बनकर बूढ़े माता-पिता की सेवा करती है, बहन बनकर भाई के प्यार और अपनी रक्षा की आशा करती है, पति के संग जीवन के सुख दुख का निर्वाह करती है, माता के रूप में अपने बच्चों को ममता के आँचल से ढकती है दादी नानी बनकर बच्चों को लोरिया एवं कहानियाँ आदि सुनाकर उनकी जिज्ञासा शांत करती है। इस प्रकार न जाने कितने उत्तरदायित्वों का निर्वाह वह अपने जीवन में करती है। फिर भी **अबला, असहाय विधवा, कलंकनी** आदि तमाम सामाजिक लांछनों को सहती है। समाज के जिस सामाजिक स्तर पर यह रही है वहाँ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करती है परन्तु समाज अपने पुरुष प्रभुत्व प्रवृत्ति के कारण इनको हमेशा दूसरे स्तर पर ला देता है और शोषित नजरों से देखता है इसका कारण है— **अज्ञानता, निरक्षरता, और रूढ़िवादिता**।

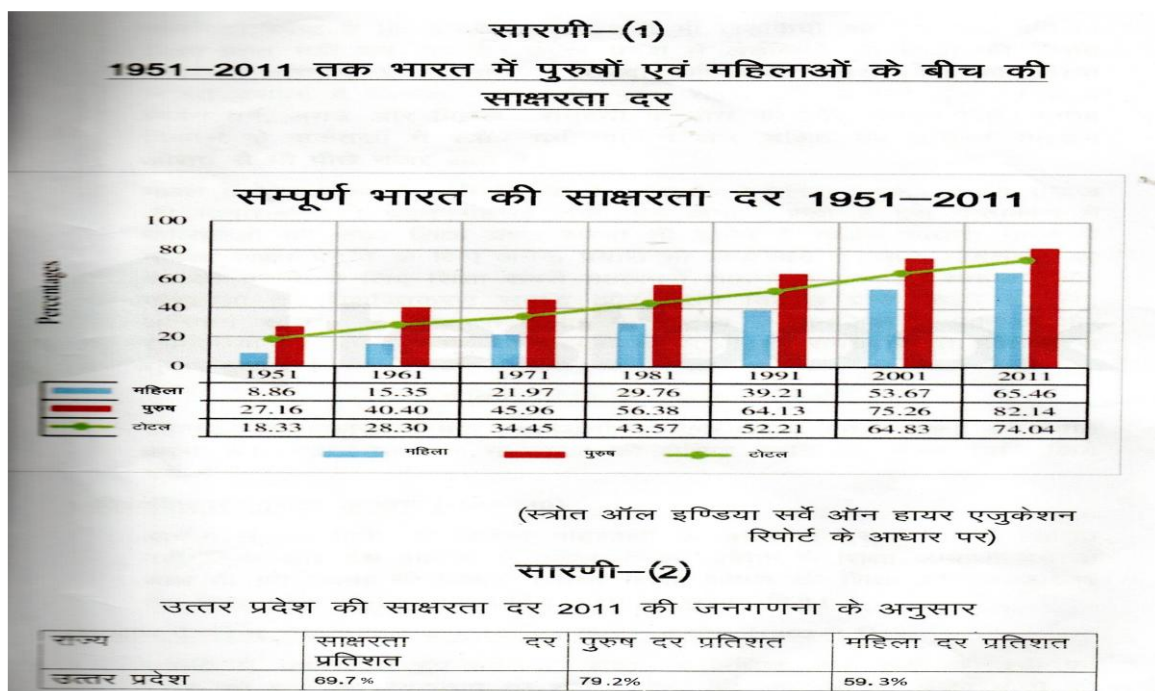
आर्थिक विकास के आँधी के इस दौर में बालिकाओं के जन्म लेने के हक के प्रति बर्बरता पर भी गर्मागरम बहस होती है। लड़के-लड़कियों की आबादी का अनुपात खतरनाक स्तर तक असंतुलित हो चुका है। यदि और देरी की गयी तो समाज का भयावह परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कन्या भूण हत्या की वजह से पिछले 30 वर्षों में एक करोड़ से ज्यादा बच्चियाँ कोख में ही मार दी गयी। पर कन्या अवहेलना की कहानी यही खत्म नहीं होती अगर लड़कियाँ पैदा हो भी जाएँ तो उन्हें पोषण नहीं मिलता, स्कूल जाती हैं तो वहाँ पूरी पढ़ाई तक प्रायः टिकने नहीं दिया जाता, सौ बाधा पारकर लड़की अगर कॉलेज की दहलीज तक पहुँच जाये तो भी उसे सदैव शारीरिक एवं मानसिक शोषण का भय बना रहता है।

कार्य-स्थलो पर भी शोषण का जिन्न मुँह बनाये खड़ा होता है। विवाह के बाद पति एवं ससुराल वालों का दो दर्जे के व्यवहार की संभावना तथा दहेज का दानव भी उसे डराते हैं। समाज के ढेकेदार लड़कियों की इस स्थिति में बुनियादी बदलाव के इच्छुक नहीं दिखते, पर अब लड़कियाँ खुद विद्रोही तेवर अपना कर अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हैं। **उदाहरण स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों का एकजुट होकर शोषण के खिलाफ खड़ा होना है।** एवं ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लड़कियाँ अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती हैं। यदि वह खुद अन्याय सही हैं तो वह अपनी लड़कियों को कभी उस अन्याय का हिस्सा नहीं बनने देती हैं क्योंकि अन्याय अब उन्हें मंजूर नहीं। और आज जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं तब उन्हें कमजोर क्यों माना जाये। हाल ही में हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुख आवाज बनकर उभरी। आज हर जगह यहाँ तक टी वी के मार्फत देश भर में चर्चित होकर वे लड़कियों के लिये प्रेरणा स्रोत बन रही हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अपनी बात सही जगह तक पहुँचाना और अपने पक्ष में कानूनों का इस्तेमाल करना भी वे सीख गई हैं। जैसे-जैसे लड़कियों के जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा को तरजीह मिलने लगेगी सामाजिक संतुलन उनके पक्ष में बनता जायेगा तब यही महिलाएँ विलक्षण प्रतिभा का उदाहरण बनेंगी चाहे वह किसी देश की राष्ट्रपति (भारत की वर्तमान) राष्ट्रपति श्रीमती दौपदी मुर्मू जी के सन्दर्भ में या किसी देश के शासन का बागडोर के (पूर्व रूप में प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी के सन्दर्भ में) या अपने हाथों में लेकर उसका संचालन करना हो, या किसी प्रदेश की शासन व्यवस्था (श्रीमती सरोजनी नायडू एवं मुख्यमंत्री मायावती जी के सन्दर्भ में) और जब महिलाओं की शिक्षा की बात है तो (सावित्री बाई फुले के सन्दर्भ में) के प्रयासों का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वह भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी (1848) और उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ साथ मिलकर लड़कियों के लिये एक विद्यालय खोला। यही नहीं आंतरिक्ष वैज्ञानिक (कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के सन्दर्भ में) बनकर विश्व के विकास तथा अन्तरिक्ष के ज्ञान से ज्ञान से अवगत कराना हो तो या खेल के क्षेत्र में (सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा के सन्दर्भ में) या साहित्य की रचना करके (महादेवी वर्मा के सन्दर्भ में) सुन्दरम की प्राप्ति करना हो आदि सभी स्थानों पर चाहे वह आईएस आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पॉलिट, आदि सभी स्थानों पर उच्च स्थान प्राप्त कर अपनी शक्ति का प्रचम लहराती हैं। और वही समाज में अगली कतार में दिखाई देती हैं।

भारतीय बालिकाओं की प्रस्थिति कालांतर में निम्न से उच्च सीमा में बदलती रही है, यद्यपि बालिकाओं की परिस्थिति जैसी आज दिखाई पड़ती है वैसी पिछले कई सदियों में इतनी अच्छी नहीं है। जब कभी महिला पुरुष के लैंगिक आधार पर इसे जाँचा जाता है तो विषमता स्पष्ट दिखाई देने पड़ती है जिसे आज तक समाप्त नहीं किया जा सका। बालिकाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान, नियोजित विकास रणनीति, कानूनों नीतियों इत्यादि में प्रतिबद्धताएँ तो व्यक्त की गई हैं परन्तु इन्हे आज भी पूरा नहीं किया जा सका है। जब भी 10वीं या 12वीं के रिजल्ट आते हैं तो हर बार यही सुनाई देता है कि 'छात्राओं ने छात्रों से बाजी मार ली' छात्राओं का पलड़ा भारी, पास होने के मामले में लड़के फिर रह गये पीछे आदि। यह बस पढ़ने और सुनने में कितना सुखद प्रतीत होता है क्योंकि देश में 'बालिकाओं को पढ़ाया जा रहा है परिवार के अन्दर नियमों में कहीं न कहीं बदलाव जरूर आया है। अब बालकों की तरह बालिकाओं के लिये भी शिक्षा को आवश्यक माना जा रहा है। बालिकाओं के शिक्षा पीछे अब मात्र 'विवाह' ही

अकेला कारण नहीं रह गया है उनके लिये भी कैरियर महत्वपूर्ण है इसे स्वीकार भी किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, पारिवारिक निर्णय प्रक्रियाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। स्त्री-पुरुष भेद बहुत धीमा ही सही अन्दर ही अन्दर मिट भी रहा है पर जरा ठहरिये— इन सबके बीच बालिका शिक्षा को अब भी पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में गम्भीर समस्या के रूप में देखा जाता है तो कुछ सफल। स्कूल में बालिकाओं का नामांकन हो वे रोजाना स्कूल जायें और फिर वहाँ शिक्षक शिक्षिका भी नियमित रूप से आये और पढ़ाये कम से कम यह छोटी सी कड़ी तो पूरी होनी चाहिये, तभी तो कोई पढ़ सकता है। अतः आज महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार एवं समाज में अच्छे से रह सकती हैं। सशक्तिकरण से महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन सम्भव हुआ है और वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर आ रही हैं और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी हैं, उन्होंने महसूस किया है कि घर के बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है।

स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति— भारत में महिलाओं की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर में 74.04 प्रतिशत है और महिलाओं में साक्षरता दर 65.46 है। 2001 में देश में महिला साक्षरता प्रतिशत करीब 53.67 प्रतिशत थी। देश में साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत हो गई। महिला साक्षरता दर भी 1951 में करीब 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई। 1991-2001 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि पुरुष साक्षरता दर में 11.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता दर में वृद्धि पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 3.33 प्रतिशत अधिक थी। स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सारणी प्रस्तुत की जा सकती है जो स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक है—



स्रोत—(ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के आधार पर)

सारणियों से स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र में अभी भी लड़कियों का एक बड़ा प्रतिशत शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और भी सोचनीय प्रतीत होती है उपर्युक्त आँकड़े उत्तर प्रदेश की औसत स्थिति दर्शाते हैं जिसके पीछे 'स्त्री'—पुरुष, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, धनी व निर्धन वर्ग, अगड़े और पिछले समुदायों के बीच की घोर विषमताएँ हैं। मानव विकास के संकेतकों में स्त्री वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, दलित एवं मुस्लिम समुदाय औसत से भी पीछे नजर आते हैं।

भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें रूढ़िवादिता दरिद्रता, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता ने बहुत गहराई तक जड़ जमा—रखी है इस वातावरण में बालिकाओं की उच्च शिक्षा तो दूर की बात है गाँव में बने विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना भी दुर्लभ है यद्यपि स्वतन्त्र भारत में महिला शिक्षा प्रगति के लिए अनेक प्रयास भी किये गये हैं। अतः महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शाधनों में एक हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण समृद्धि और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अनिवार्य स्वतंत्रता के बाद से भारत में राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए रणनीतियों को अपनाया गया है जिससे महिलाओं की समग्र स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है।

शैक्षिक प्रगति के प्रयास— महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक उपाय उनकी शिक्षा की प्रगति करना है। स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की शैक्षिक प्रगति हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं:—

1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948—49)

आयोग ने यह माना की शिक्षित महिलाओं के अभाव में पुरुषों को भी शिक्षित नहीं किया और इस आयोग ने महिलाओं को अधिक से शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के साथ ही ग्रह प्रबन्ध की शिक्षा, ललित कला, शोषण की शिक्षा और उच्च स्तर सह शिक्षा प्राप्त के लिए प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए।

2 आचार्य नरेन्द्र देव समिति व माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952—53)

समिति ने यह कहते हुए बालिका शिक्षा पर अधिक जोर दिया की स्त्री एवं पुरुष की कुछ आवश्यकताएँ तो समान होती हैं। अतः उनकी शिक्षा दोनों को समान रूप से दी जाये। और कुछ आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं। अतः उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग—अलग की जायें। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय खोलने, साथ ही गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सुझाव दिए।

(3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958—59)

स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उनका समाधान करने के उपायों पर विचार करने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसे समिति के अध्यक्षता के नाम पर दुर्गाबाई समिति कहकर भी पुकारा जाता है समिति ने स्त्री शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार।

(4) दुर्गा बाई देशमुख समिति:— (1959)

इस समिति ने अपने सुझाव में कहा कि बालिका शिक्षा को लम्बे समय तक एक विशिष्ट समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की निर्धन बालिकाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये,

माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना तथा लड़कियों को मिडिल स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाये, लड़कियों को स्कूल आने-जाने हेतु यातायात सुविधा प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम, महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा उच्च शिक्षा में छात्राओं को छात्र-वृत्ति, बालिकाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सघन पाठ्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस समिति के सुझाव पर ही राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का 1959-60 में गठन किया गया।

(5) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद :-(1959-60)

इस समिति का उद्देश्य महिला शिक्षा के सम्बन्ध में जनमत तैयार विद्यालय स्तर और बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार में और सुधारों, लक्ष्यों, नीतियों कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं के बारे में सुझाव देना, विद्यालय से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना तथा इस क्षेत्र में दिये जाने वाले व्यक्तिगत प्रयासों हेतु सर्वोत्तम सुझाव देना है। इसके अलावा इस समिति का कार्य बालिका शिक्षा की प्रगति मुल्यांकन करना, समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की सिफारिश भी की गयी हैं।

(6) भक्त वत्सलम समिति (1963-65)

महिलाओं की शिक्षा के प्रति जन सहयोग में कमी के कारणों का पता लगाना। एवं जन कमी के कारणों का पता लगाना। एवं जन सहयोग की भूमिका को स्वीकार करके स्कूल खोलने में, भवन तैयार करने में सह शिक्षा के प्रचार में महिलाओं में अध्ययन व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने में तथा विवाहित महिलाओं को अंशकालीन शिक्षक कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने में प्रत्यक्ष जन सहयोग प्राप्त करने की दिश में कार्य करने का सुझाव दिया।

(7) हंसा मेहता समिति (1964-65) एवं कोठारी आयोग (1964-66)

इस समिति ने अपने सुझाव में लड़कियों की शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, लड़कियों की शिक्षा के लिये उचित दृष्टिकोण का निर्माण कराना जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये और कहा कि विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए एवं भारतीय संविधान में संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिये अधिकाधिक प्रयास किये जाये। इसी प्रकार कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार को लेख बद्ध किया है और स्त्री शिक्षा के विस्तार के बारे में उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता और स्त्री शिक्षा को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए स्त्री शिक्षा में आने वाली बाधाओं हेतु ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है।

8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

बालक और बालिकाओं को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है।

9 फुलेरेनु गुहा समिति:-1974

सभी स्तरों पर सह शिक्षा विद्यालयों की स्थापना करना।

10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

इस शिक्षा नीति में स्त्रियों की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गयी शिक्षा को स्त्रियों के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग करने को कहा गया तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में स्त्री अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा। महिलाओं की निरक्षरता दूर करने के लिये प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी स्त्रियों की व्यावसायिक तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की औद्योगिक शिक्षा में भूमिका के लिये सर्वाधिक बल दिया जायेगा। 1986 की शिक्षा नीति को कार्यरूप प्रदान करने के लिये हर क्षेत्र में कार्य शुरू किये गये स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन शिक्षा के हर क्षेत्र पर शुरू किये गये।

11 जनार्दन रेड्डी समिति (1992)

महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष सुविधाएँ और प्रोत्साहन दिया जाना।

12 कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना (1997)

महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना।

13 मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्र वृत्ति 2003

अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना।

14 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना 2004–05

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व बालक-बालिका के प्रति समाज में व्याप्त लिंग विभेदीकरण को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने एक नई योजना का प्रारम्भ 2004–05 में किया। जिसे महात्मा गाँधी जी की पत्नी 'कस्तूरबा' के नाम पर रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की अपवंचित वर्ग से लिंग विभेदीकरण को समाप्त करना उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं के विद्यालयों के नामांकन में व्याप्त अन्तर को समाप्त करना अनुसूचित जाति पिछली जाति, अनुसूजित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता अभिभावकों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एवं अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है।

15 कन्या विद्या धन योजना (2004)

इस योजना का आरम्भ उत्तर प्रदेश में राजाज्ञा संख्या 1273/15-10-2004-47(28) / 2003 टी0सी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कन्या विद्या धन योजना का आरम्भ 2004 में किया गया। जिसमें बालिकाओं को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

16 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में बाल लिंग के अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गयी थी। इसके तहत कन्या कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना बनाई गई।

17 सुकन्या समृद्धि योजना (2015)

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।

18 महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017)

इस योजना का उद्देश्य देश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केन्द्र उपलब्ध कराना है।

19 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

NEP 2020 के अनुसार, शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, शिक्षण परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति यह नीति जागरूक और संवेदनशील है।

निष्कर्षः— स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्त्री शिक्षा ने धीरे-धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाये। आरम्भ में जहाँ अशिक्षा, बाल विवाह, और रुढ़िवादिता ने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया, अब वही स्त्रियाँ विज्ञान, रक्षा, प्रशासन, राजनीति अंतरिक्ष तक पहुँच रही हैं, आज की दिशा यह दर्शाती है कि महिलाएँ केवल साक्षर नहीं हो रही बल्कि शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और निर्णयकर्ता बन रही हैं। इसका सशक्त उदाहरण हाल ही में हुआ 'आपरेशन सिंदूर' है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिला अधिकारियों ने सेना में नेतृत्व की भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि शिक्षा के बल पर महिलाएँ अब राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार, स्त्री शिक्षा की दशा अब आशाजनक है और और दिशा स्पष्ट सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की ओर।

सन्दर्भ—

1. पाठक, पी0डी0 2007, भारतीय शिक्षा की समस्याएँ—विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा ।
2. लाल रमन बिहारी, 2007—08, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ ।
3. तुलनात्मक आँकड़े ' भारतीय जनगणना 2011 ।
4. बाजपेयी, एल0बी0 2001, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं सामाजिक प्रवृत्तियाँ— आलोक प्रकाशन लखनऊ, इलाहाबाद ।
5. उत्तर प्रदेश का चिन्ताजनक सामाजिक विकास (सम्पादकीय) हिन्दुस्तान 21 सितम्बर 2007 ।
6. सर्व शिक्षा में पिछड़ती लड़कियाँ (सम्पादकीय) हिन्दुस्तान 12 सितम्बर 2007
7. सारणी प्रथम ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के आधार पर ।
8. करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 सपीडीप्रकाशन ।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, pib.gov.in> ।